

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) सेड़वा जिला बाड़मेर

<p>प्राथी</p> <p>1. उमर पुत्र फुलू 2. बरोचा 3. हासम 4. मारुफ पि. लाखा 5. कुरानत पुत्र बसाया 6. सोमारा 7. वसाया 8. अलीशेर पि. मजीद जाति मुसलमान निवासी सरुपे का तला तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर</p>	<p>बनाम</p> <p>विप्रार्थीगण 1. गुलाम 2. अलीखां 3. शरीफखां पि. हलीम 4. कसी पत्नी हलीम 5. फतन 6. मुबीन 7. मीठा पि. सुराब 8. अधरमान 9. लुकमान 10. जमीयत पि. आमूर 11. बचू 12. हुसैन 13. शेरू 14. सेईया पि. भाईखां 16. फातमा पत्नी भाईखां 17. ऐसान 18. मेहराज पि. साईया 19. अमानत 20. मिठाखां पि. धुरिया 21. खैरदीन 22. वासन 23. ओसमान 24. मारख 25. माहबून पि. बूढा 26. साईदाद 27. जमालदीन पि. सुराब 28. धूरा 29. हसना पि. अलादीन 30. नसीर पुत्र सादू 31. उर्स पुत्र जुमा 32. हनीफ 33. इमला पि. इसा 34. इमाम पुत्र जगमाल जाति मुसलमान निवासी सरुपे का तला सेड़वा तहसील सेड़वा 35. तहसीलदार सेड़वा।</p>
--	---

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राज.भू. राजस्व अधिनियम वास्ते नेखमबंदी बाबत।  
राजस्व आवेदन संख्या 04/2020 दिनांक : 09.06.2022

## आदेश

तहसीलदार सेड़वा को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील सेड़वा पटवार क्षेत्र सरुपे का तला भू.अ.नि. क्षेत्र बीजासर के मौजा सरुपे का तला के खेत खसरा संख्या 570/153 रकबा 76.08 बीघा किस्म बारानी सोयम के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार सेड़वा को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की पेमाईश आप अपने स्तर पर टीम गठित कर दोनों पक्षों को विधि को विधि सम्मत नोटिस के जरिये सूचित कर यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तथा नेखमबंदी की पालना 15 दिवस में अवश्य पेश करें। नेखमबंदी के दौरान किसी बिन्दु पर किसी प्रकार निर्माण होने की स्थिति में उस बिन्दु पर नेखम स्थापित नहीं किया जावे और उसकी मौका स्थिति की रिपोर्ट पेश करे। तहसीलदार दोनों पक्षों को नोटिस जारी करने के उपरान्त ही नेखमबंदी की कार्यवाही करेंगे।

नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितों पर कुठाराघात न हों। आवश्यकता होने पर संबंधित पुलिस थाना से इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है।



*(Signature)*  
(रामजी भाई कलबी)  
उपखण्ड अधिकारी  
(SDO) सेड़वा  
दिनांक 09/06/22



क्रमांक/भू.अ./2022/ 651 - 55

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ-

1. तहसीलदार सेड़वा।
2. प्रार्थी उमर पुत्र फुलू वगैरा।
3. विप्रार्थीगण गुलाम पुत्र हलीम वगैरा।
4. थानाधिकारी पुलिस थाना सेड़वा/चौहटन/बाखासर/बीजराड़/धोरीमन्ना।

*(Signature)*  
उपखण्ड अधिकारी  
(SDO) सेड़वा

उमर वगैरा बनाम गुलाम वगैरा  
पट्टासीन अधिकारी - श्री रामजी भाई कलबी आर.ए.एस  
प्रार्थीगण वकील - मोहनसिंह सोढा

निर्णय

दिनांक - 09.06.2022

प्रस्तुत प्रकरण में संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि तहसील सेड़वा के पटवार क्षेत्र सरूपे का तला भू.अ.नि. क्षेत्र बीजासर के मौजा सरूपे का तला के खेत खसरा संख्या 570/153 रकबा 76.08 बीघा किस्म बारानी सोयम स्थित है। प्रार्थी के खेत के पास विप्रार्थीगण उक्त खातेदारी भूमि के पडोसी है। जिनके खेत प्रार्थी के खेत के पडोस में स्थित होने के कारण बरसात के समय वक्त काश्त अक्सर विप्रार्थीगण सेढो को लेकर विवाद करते रहते हैं। प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण के मध्य सीमा को लेकर विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगड्डी पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहते हैं। प्रार्थी ने पेमाईश एवं नेखमबन्दी करने का निवेदन किया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस बाद तामिल प्राप्त हुए। लेकिन कोई उपस्थित नहीं हुआ, अतः उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। जिससे स्पष्ट होता है कि प्रार्थी के वक्त काश्त प्रार्थी व विप्रार्थीगण के मध्य सीमाओ को लेकर विवाद बना रहता है, इस कारण प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि की पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहते हैं। प्रार्थी विवादित भूमि के खातेदार काश्तकार राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार की तहसील सेड़वा के पटवार क्षेत्र सरूपे का तला भू.अ.नि. क्षेत्र बीजासर के मौजा सरूपे का तला के खेत खसरा संख्या 570/153 रकबा 76.08 बीघा किस्म बारानी सोयम की नेखमबन्दी करने का आदेश दिया जाता है। नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सेड़वा को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर को निर्देश दिये जाते हैं कि वो दोनो पक्षों के रूबरू किसी मुस्तकील/स्थायी बिन्दु को आधार मानकर पेमाईश करे व भूमापक कर्ता को यह भी निर्देश दिये जाते हैं कि किसी सक्षम न्यायालय से स्थगन आदेश न हो तो वो दोनो पक्षों के रूबरू विवादित भूमि की मौके की स्थिति व कब्जे काश्त में परिवर्तन किये बिना मुस्तकील/स्थायी बिन्दु को आधार मानकर पेमाईश करे व नेखमबन्दी कर पालना रिपोर्ट पेश करे वक्त पेमाईश हल्का पटवारी को साथ रखे। नेखमबन्दी के दौरान किसी बिन्दु को लेकर विवाद की स्थिति हो तो नेखम स्थापित नहीं किये जावे और उसकी मौका स्थिति की रिपोर्ट पेश करे। तहरीर जारी हो।

तहसीलदार सेड़वा को आदेश दिया जाता है कि वे प्रार्थी के खसरों की नेखमबन्दी विप्रार्थीगण की उपस्थिति में करावें एवं नेखमबन्दी के दौरान विप्रार्थीगण के हितों पर कुठाराघात न हो।

पत्रावली पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर पेश हो पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।  
निर्णय आज दिनांक 09.06.2022 को न्यायालय के खुले परिसर में सुनाया गया।



*Blk*  
(रामजी भाई कलबी)  
उपखण्ड अधिकारी  
(SBO) सेड़वा